कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक– 4026 / 14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 13/5 /2016.

सेवा में,

अधिषाशी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड फतेहपुर,
बाराबंकी।

विषयः– जनपद बाराबंकी में बबुरी गॉव वन ब्लाक के मध्य 33 के0 वी0 विद्युत लाइन पैकरामऊ से कुर्सी तक के निर्माण हेतु 0.6615 हे0 आरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ की पत्र संख्या– पी–58/ 14–2–2013–800(53)/2016 दिनांक 12–05–2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एफ.न0 संख्या– 11–9/98 एफसी दिनांक 21–08–2014 एवं पत्र दिनांक 13–02–2014 के आलोक में उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग–2 के पत्र संख्या– पी–58/ 14–2–2013–800(53)/2016 दिनांक 12–05–2016 द्वारा जनपद बाराबंकी में बबुरीगांव वन ब्लाक के मध्य 33 के0 वी0 विद्युत लाइन पैकरामऊ से कुर्सी तक विद्युत लाइन के निर्माण कार्य हेतु 0.6615 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि तथा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव तथा रिक्त पड़े स्थानों पर 1323 पौधों के वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग–अलग ई–पेमेन्ट के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www.forestsclearnce.nic.in में चालान के माध्यम से सम्बन्धित खाता प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण **(Compensatory Afforestration, Fund Management and Planning Authority)** के खाता संख्या– **SB A/C No. 25230** में ईपेमेन्ट के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। कृपया तीन दिन में सभी विन्दुओं पर अलग–अलग अनुपालन आख्या अवश्य प्रस्तुत किया जाय ताकि तद्नुसार कार्यानुमति जारी करने हेतु कार्यवाही की जा सके। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

1– प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण **(Compensatory Afforestration, Fund Management and Planning Authority)** वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

2– प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा **100 वृक्षों के वृक्षारोपण** एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 **589600/– (रू0 पांच लाख नवासी हजार छः सौ मात्र) एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–पेमेन्ट के चालान के साथ** जमा किया जायेगा।

3– प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़ें स्थानों पर **1323 वृक्षों** के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि **रू0 .227500.00.(रू0 दो लाख सताइस हजार पाच सौ मात्र) एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–पेमेन्ट के चालान के साथ** जमा किया जायेगा।

4– उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार **शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)** (0.6615 x 939000 = 621148.50) की धनराशि **रू0 621149/– .(रू0 छः लाख इक्कीस हजार एक सौ उन्चास मात्र)** तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230 कारपोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रय) नई दिल्ली में **एन0आई0सी0 के माध्यम से ई–पेमेन्ट के चालान के साथ जमा** किया जाय।

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।

6– वन भूमि की बैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7– नोडल अधिकारी उ0 प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तरीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेगें।

8– प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आप–पास फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें। अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा /फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।

9– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुॅचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुॅचती है अथवा पहुॅचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

11– उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0 प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

12– भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–08–2010 तथा पत्र संख्या J–11013/41/2006–IA-II(I) दिनांक 02–12–2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैण्डि कमेटी आफ नेशनल बोड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जाय।

13– उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

14– राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

15– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।

16– यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

17– समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19– इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11–07–2014 व 21–08–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

20– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक– 11–9/98एफसी दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें। जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (SHP) फाइल में दर्शाया गया हो।

21– प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

22– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या– 7–25/2012–एफ.सी. दिनांक 05 मई 2014 में उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

23– प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

24– उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

(जावेद अख्तर) 13-5-16.
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / दिनांकित।

1– प्रतिलिपि जिलाधिकारी बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि, क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवां को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक भारत सरकार तथा उ0 प्र0 शासन लखनऊ से विधिवत स्वीकृत /शासनादेश जारी न हो जाय अथव इस कार्यालय द्वारा कोई अग्रिम आदेश न दिया जाय तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय जिससे वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन हो।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

त्रिभुवन/–